उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-54/2011-12

नारद ठाकुर

बनाम्

मांझी टुडू वगैरह

—: आदेश :—

दिनांक

18.11.14

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता नारद ठाकुर, पे0—स्व0 नकुल ओस्ता, सा0—गोढ़िया, अंचल—बोआरीजोर, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0—24/2005—06 आदेश दिनांक—16.07.2011 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद सं0—24/2005—06 के आदेश दिनांक—16.07.2011 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता के साथ मौजा—गोढ़िया के जमाबंदी सं0—29 दाग नं0—162 रकवा 00—05—00 धुर एवं दाग नं0—163 रकवा 01—06—00 धुर जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के बंदोवस्ती केश नं0—173/74—75 के द्वारा बंदोवस्ती किया गया था तथा बंदोवस्त जमीन पर अपीलकर्त्ता को दखल दिहानी भी दिलाया गया था। अपीलकर्त्ता उक्त जमीन का बंदोवस्ती की तिथि से लगातार जोत आबाद करते आ रहे हैं तथा मालगुजारी रसीद कटाते आ रहे हैं। लेकिन निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता द्वारा उठाये गये तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। साथ ही निम्न न्यायालय का पारित आदेश कालबाधित भी है। क्योंकि अपीलकर्त्ता के साथ उक्त जमीन की बंदोवस्ती वर्ष 74—75 में की गयी है एवं निम्न न्यायालय के द्वारा दिनांक—16.07.2011 के पारित आदेश द्वारा अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—गोढ़िया जमाबंदी सं0—29 कुल रकवा 10—08—13 धुर जमीन भत्तु मुर्मू

पे0–बघराय मुर्मू के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत भतु मुर्मू का नावल्द मृत्यु होने के कारण उक्त जमाबंदी की जमीन फौत हो गया था। इसलिए उक्त जमाबंदी की जमीन अन्य संताल रैयतों के साथ पुनः बंदोवस्ती की गयी है। अपीलकर्त्ता नीरो ओस्ता के द्वारा भी उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–162 एवं 163 की जमीन का बंदोवस्ती से प्राप्त करने का दावा करने लगा। जिससे मौजा–गोढ़िया के संताल रैयतों में काफी रोष उत्पन्न हुआ। इस कारण ग्राम में पंचायती भी हुआ था। उक्त पंचायती में नीरो ओस्ता ने उक्त जमीन से अपना दावा छोड़ने की बाद कही तथा पंचनामा कागजात में हस्ताक्षर भी कर दिया था। लेकिन नीरो ओस्ता के द्वारा हाल तसदीक सर्वे में अपना नाम दर्ज करने का प्रयास करना प्रारम्भ कर दिया था। जबकि उक्त जमीन पर उत्तरवादी का पूर्व से दखल चला आ रहा है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता गैर संताल है तथा उक्त जमाबंदी की जमीन संताल रैयत के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता का दावा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। निम्न न्यायालय के द्वारा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत सभी कागजातों का अवलोकन करके अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–119/रा0 दिनांक–01.02.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–गोढ़िया थाना नं0–9 गेंजर सर्वे सेटलमेंट पर्चा जमाबंदी नं0–29 में रैयत मतु मुर्मू वल्द बागराय मुर्मू कौम संताल शाकिन देह उल्लेखित है जिसके तहत दाग नं0–162 कुल रकवा 06–15–16 धुर किस्म बाड़ी औवल तथा दाग नं0–163 कुल रकवा 01–06–00 धुर जमीन किस्म धानी दोयम कहकर दर्ज है। जमाबंदी नं0–29 के रैयत मतु मुर्मू वल्द बागराय मुर्मू नावल्द मृत हो गये तत्पश्चात् जमाबंदी नं0–29 के कुल खतियानी रकवा 10–08–13 धुर जमीन को मौजा के तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–173/74–75 में कुल 06(छः) रैयतों के साथ उक्त भूमि की बंदोवस्ती हुआ है, जिसमें ग्राम प्रधान का भी हस्ताक्षर अंकित है। अपीलकर्त्ता नारद ठाकुर पिता–स्व0 नुकू ठाकुर, सा0–गोढ़िया थाना नं0–9 के साथ दाग

नं0–162 के अंदर अंश रकवा 00–05–00 धुर तथा दाग नं0–163 के अंदर अंश रकवा 01–06–00 कटठा कुल रकवा 01–11–00 धुर जमीन बंदोवस्त है। आगे प्रतिवेदित किया है कि दाग नं0–162 के अंश रकवा 00–05–00 धुर भूमि के अंश पर विपक्षी मांझी टुडू पिता–स्व0 भादो टुडू का पक्का मकान बना हुआ है। जिसमें सपरिवार निवास कर रहे है एवं कुछ भाग बाड़ी के रूप में है। दाग नं0–163 का अंश रकवा 01–06–00 धुर भूमि जो धानी खेत है, वर्तमान में खाली है अर्थात किसी के द्वारा जोत आबाद नहीं किया जा रहा है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने, जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गोढ़िया थाना नं0–9 जमाबंदी सं0–29 दाग नं0–162 रकवा 06–15–15 धुर किस्म बाड़ी औवल तथा दाग नं0–163 रकवा 01–06–00 धुर जमीन किस्म धानी दोयम जमाबंदी रैयत मतु मुर्मू वल्द बागराय मुर्मू कौम संताल के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी सं0–29 के अन्तर्गत दाग नं0–162 रकवा 00–05–00 धुर एवं दाग नं0–163 रकवा 01–06–00 धुर जमीन प्रधान से बंदोवस्ती से प्राप्त करने के लिए दावा किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा अपने दावा के समर्थन में एक भी लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–162 के अंश रकवा 00–05–00 धुर जमीन के अंश भाग पर उत्तरवादी मांझी टुडू का मकान बना हुआ है, जिसमें वे सपरिवार निवास कर रहे हैं एवं कुछ भाग बाड़ी के रूप में उत्तरवादी मांझी टुडू के द्वारा उपयोग किया जा रहा है तथा दाग नं0–163 रकवा 01–06–00 धुर जमीन किसी के द्वारा जोत आबाद नहीं किया जा रहा है। इससे अपीलकर्त्ता के दावा का पुष्टि नहीं होता है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद सं0–24/2005–06 में दिनांक–16.07.2011 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील खारिज किया जाता है।

Digitally signed by BHOLA SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:37:22 +05:30
Location: 192.168.29.8

लेखापित एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।